

प्रदर्शक,

एचडी० किंह
विशेष सचिव
मुख्य राजसभा।

संक्षेप में,

१. लिंगेश्वर,
राज्य नगरीय प्रिक्स अधिकारण,
उपर्योग, लखनऊ।

लक्षण : दिनांक : १५ अगस्त, २०१५

नगरीय रोजगार एवं गरीबी

अनुलून कार्यक्रम विभाग।
प्रियजन : शहरी गरीबों के लिये अल्पसंख्यक वाहनों तथा नगरीय निवास वरितर्थों में आसान योजना
(आदानीय योजना) के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष २०१५-१६ में अनुदान संख्या-३७ से रिलोकेशन आवासों की
०१ परियोजना की वित्तीय स्थीरता।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पर संख्या-१८०२/७७/१०/छ./विधि/आसान/तकनीकी (जौनपुर मुडियाह-१४४)
दिनांक ३० जुलाई, २०१५ के संदर्भ में मृदु यह कहा यह लिंगेश्वर हुआ है कि शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक
वाहनों वाहनों तथा नगरीय मॉलेन वर्तितर्थों वे आसान योजना (आदानीय योजना) के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष
२०१५-१६ में अनुदान संख्या-३७ से जौनपुर जौनपुर की जिलाय मुडियाह को १०३ रिलोकेशन आवासों की ०१
परियोजना हेतु ₹० ४९४.८१ लाख की प्रशस्तीय एवं वित्तीय स्थीरता संस्थान अधिकारियों के समझौते में अकिल
प्रथम किशन के रूप में परियोजना लागत का ५० प्रतिशत अपूर्ण कुल धनराशि ₹० २४७.४०५ लाख (रुपये दो
प्रथम किशन के रूप में परियोजना लागत का ५० प्रतिशत अपूर्ण कुल धनराशि ₹० २४७.४०५ लाख प्रतिवर्षों के
करोड़ संतानिस लाख चालीस हजार पाँच सौ रुपये) की की राज्यपाल मुद्रादात निम्नांकित शर्तों/प्रतिवर्षों के
अधीन सहर्ष स्थीरता प्रदान करते हैं:-

(जौनपुर लाख रुपये में)

क्र०	जौनपुर/ निकाय का नाम	कुल आवासों की संख्या।	भवस्थापना सुविधाओं सहित परियोजना को कुल आदानीय संगठन।	संख्या वर्ग के लाभार्थियों का संवाद।	संख्या वर्ग के लाभार्थियों का संवाद।	प्रदर्शन किशन (५० प्रतिशत)
सं०						
१	३	३	४	५	६	७
१	जौनपुर/ मुडियाह	१४४	६९१.७८	१०३	४९४.८१	२४७.४०५
योग				१०३	४९४.८१	२४७.४०५


(रुपये दो करोड़ संतानिस लाख चालीस हजार पाँच सौ रुपये)

१. उक्त धनराशि का व्यय आसान योजना (आदानीय योजना) के हावान्य में जारी दिशा लिंगेश्वर विषयक
शासनादेश संख्या- ३३/६९-१-१३-१४(३१)/२०१२टीसी(सी), दिनांक १६ जूनरी, २०१३ एवं शासनादेश
संख्या-१८३३/६९-१-१४-१४(३१)/२०१२टीसी(सी) दिनांक ०९ जिलाय, २०१४ में दिये जाने दिशा-
लिंगेश्वर/द्यवस्था का पूर्णक्षेत्र अनुपालन सुनिश्चित करने हुए की जायेगी।
२. प्रश्नबद्ध कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय इस्तपुस्तिया खण्ड-६ के अंदर १२ वें प्रत्यर ३१३ में दिये
द्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर संतान रत्न से लाभार्थी स्थीरता अवश्य प्राप्त कर ले जायेगी तथा
संतान रत्न से तकनीकी स्थीरता प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

४९४.८१ २४७.४०५ २४७.४०५

3. इसीलिए कि निर्माण कार्य प्राप्ति करने से पूर्व मानविकों के अन्दर रक्तांतरण और नियन्त्रण द्वारा भेदभाव अपतिलियों एवं धर्यावरणीय विनियोग्य प्राप्ति करने के उपराज्ञा ही विनाश का बहुमत करता जायेगा।
4. उक्त धनराशि शासन/प्रायोजना रचना एवं नूतनीकन प्राग/राज्य स्तरीय सम्बन्ध तथा उनका उत्तर/प्रतिबन्धों के अधीन उपर्युक्तानुसार विहित मद में व्यय की जायेगी। योजना तथा उनका उनकी कृत क्षेत्रफल, मानचित्र एवं मात्रा ने किसी प्रकार का परिवर्तन अनुमत्य नहीं होगा।
5. उक्त धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उत्तर/प्राग/मद जे किया जाये। सामग्री/उपकरणों का क्षय वित्तीय नियमों के अनुसार किया जायेगा। आवधि काला पूर्ण गुणवत्ता व पारदर्शिता के साथ पूर्ण करावी जायेगी एवं किसी प्रकार का कास्ट एस्फेलेटिंग अनुमत्य नहीं होगा।
6. सूड़ा/इडा द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि स्वीकृत किये जा रहे इस कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है तथा न ही यह कार्य तिरी अन्य कार्य योजना में समिलित है। उक्त स्वीकृत धनराशि आवृत्ति परिव्यय के अन्तर्गत होने एवं कार्यों की दिराहुति/पुनरायृति न हो इसे सूड़ा/इडा द्वारा अपने स्तर से सुनिश्चित किया जायेगा।
7. प्रायोजनान्तर्गत कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे जये कार्य द्वारा, कार्यों के आकार/क्षेत्रफल में वृद्धि एवं अन्य विशिष्टियों इस्तेमाल करना इत्यादि, व्यय वित्त समिति का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये विला नहीं किया जायेगा। इसके अतिरिक्त समिति द्वारा अनुमोदित कार्यों की कार्यदायी संस्था द्वारा तबतीकी रखी जाती होती है तो इस स्थिति में पुनरीक्षित प्रायोजना प्रस्ताव पर 03 माह के अन्दर व्यय विला समिति का पुनः अनुमोदन प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा अन्यथा बाद में पुनरीक्षित प्रायोजना लागत के प्रत्याद पर विचार नहीं किया जायेगा।
8. निर्माण कार्य आरम्भ करने के पूर्व इन सीदू आवासों के भू-स्थानियों के भू-स्थानित्य का संव्यापन अविवार्य रूप से किया जायेगा।
9. सूड़ा/इडा द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि व्यय वित्त समिति द्वारा अनुमोदित आसरा योजनान्तर्गत आवासों के निर्माण से सम्बन्धित मालकीकरण के अनुसार ही आवास बनाये जाय व व्यय वित्त समिति द्वारा अधिरोपित शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।
10. उक्त धनराशि द्वारा के माध्यम से आहरण के परियोजना सम्बन्धी सभी परिवारों का सदान स्तरीय विराकरण कराकर गुणवत्ता भावि विनियुक्ति सहित व्यापरिक योजना निर्देशों के अनुपालन पर आश्वस्त होकर, तत्काल सम्बन्धित इडा/उनके माध्यम से निर्माण इकाई को उपलब्ध करा दी जायेगी, जो अपने स्तर पर भी उक्तानुसार सभी पहलुओं पर आश्वस्त हो जाएगी।
11. उक्त धनराशि का आहरण निदेशक, राज्य नगरीय विकास अधिकारण, ३०४०, लखनऊ द्वारा प्रमुख सचिव/सचिव अथवा प्रशिक्षण सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्नयन कार्यक्रम विभाग के प्रतिहस्ताक्षरोपरालैट किया जायेगा।
12. प्रत्येक आहरण की सूचना महालेखाकार (राज्यकोष), महालेखाकार (लेखा), ३०४०, इवाहावाद को आदेश भीतर अवश्य उपलब्ध करा दी जायेगी।

13. रवैदुरा धनराशि कोपाना में आहरित कर वैग्रामकार/डिप्पिट घाले य नॉएल०७० में लाई जाएगी। स्टॉकत थो ज रा। धनराशि का कोपाना रो आपाण गाड्य सरकार द्वारा निर्धारित राशि के अनुसार किंवा जांधगा तथा इसांनी राज्य सरकार द्वारा निर्धारित राशि का अनुसार भी सुनिश्चित नियमनां प्रकार अंतर्गत आहारा मुक्ताव के पूर्व बथांतास देवन्ह त राज्य दे कर्त्ता की रबोत की कटौती सरकार थो जांकेवाये निश्चिक धारावर्ती के अनुपालन का विवाद रखा जायेगा।
14. इस धनराशि का वायाग चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में यथा कलेन्डर अधिक्य करा लिया जाया जान्नावत्तर्गत प्रथम नियत वै रूप भी स्टॉकत उवत धनराशि की 75 प्रतिशत धनराशि द्वय हो जाय के परचात् तथा ३८के सम्पेक्ष झाँसिक ध्रगति/गुणवत्ता से संतुष्ट होने के परचात् उपयोगिता प्रमाण पर शासन की रामव से उपचाय काया जायेगा। तयोपरावत योजना की अवशेष/दितीय नियत की धनराशि अवगुदत की जायेगी। निर्धारित भ्रवधि के बाद अनुपर्योगित धनराशि यदि कोई हो, तो एकमुश्त शासन को यापन करनी होगी।
15. निदेशक/सदिवय, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, ३०५०, लखनऊ आहरण वै वयांत पर अपने लेखों का जिलान नहालेयाकार के वार्षांतय के लेखों से अधिक्य करायेगे;
16. परियोजना से सम्बन्धित निर्माण इकाई से वार्षांतयस्था धनराशि अवमुक्त करने से पूर्व अनुदृच्छ (एम०ओ०८०) निर्पादित किये जाने हेतु सुझा द्वारा सम्बन्धित दूडा को निर्दिशित किया जायेगा।
2. उपरावत धनराशि वै वय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययाक में अनुदान संघरा-३७ के अनुग्राम लेखा शीकां “4216-आवास पर पूँजीगत परिव्यय-आयोजनागत-०२-शहरी आवास-४००-अन्य व्यय-०३-आसरा योजना (आवासीय भवन)-२४-वृहद निर्माण कार्य” के लाभे डाला जायेगा।
3. वह अद्देश वित्त विभाग के कार्यालय जाप संघरा-२/2015/वी-१-९२५/दस-२०१५-२३१/२०१५, दिनांक ३०.०३.२०१५ व समय समय पर जारी आदेशों के तहत किये जा रहे हैं।

अवदीय,

 (एम०ओ०८० सिंह)
 विशेष सचिव।

संघरा-२/२०१५/१८९३(1)/६९-१-१५, तथिनांक।

प्रतिलिपि नियन्त्रित कर सूचनाएं एवं आवश्यक कार्यकारी हेतु प्रेषित-

1. महानेयाकार (लेखा एवं हक्कदारी), प्रयज, उत्तर प्रदेश, २० सरोजनी नावनू मार्ग, इलाहाबाद।
2. निदेशक, स्थानीय नियि लेखा परिवार विभाग, ३०५०, छठां तल, संगम प्लेट, सिवेल लाइन, इलाहाबाद।
3. न.व्यय, नगरीय रोजगार एवं गरीबी डल्मूजन कार्यक्रम विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
4. जिलाधिकारी/मुख्यमन्त्री, जिला नगरीय विकास अभिकरण, जैनपुर।
5. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-४, उत्तर प्रदेश शासन।
6. जियोजन अनुभाग-४, उत्तर प्रदेश शासन।
7. मुख्य कोपाधिकारी, जागहर भवन, लखनऊ।
8. वित्त नियंत्रण, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
9. सलाहक वैय भास्टर, सुझा का विभागीय वैय साइड पर अगालोड कराने हेतु।
10. गाउ फाइल/काउन्यूटर नहायक/दजू समन्वयक।

आज्ञा से,

(एम०ओ०८० सिंह)
 विशेष सचिव।